न्यायालय अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–06/2022

प्रसंगः– प्रतिमा देवी – बनाम – राजु रविदास

आदेश

19/02/25

उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक–88/विधि दिनांक–24/01/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदिका श्रीमती प्रतिमा देवी, पति–श्री अरविन्द कुमार, साकिन–महुँगाय, पोस्ट–चन्दवारा, थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(i)(b) के तहत् मौजा–चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–95, प्लॉट नं0–6596, रकवा–06 डी0, भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अंचल अधिकारी, चन्दवारा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही उभय पक्षो को नोटिस निर्गत कर सुना गया।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा का पत्रांक–72 दिनांक–31.01.2022 द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–95, प्लॉट नं0–6596, रकवा–06 डी0, भूमि विक्रेता की रैयती भूमि है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् विक्रेता को लगभग 2.62 ए0 भूमि बचती है। आवेदक (विक्रेता) भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही विक्रेता जाति के धोबी तथा क्रेता जाति के चमार है, क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसुचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, चन्दवारा द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता द्वारा अपना–अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता आवेदिका श्रीमती प्रतिमा देवी, पति–श्री अरविन्द कुमार, का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवारा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–01248 दिनांक–17.11.2021 के अनुसार जाति के धोबी है एवं अंचल अधिकारी, चन्दवारा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संख्या–04697 दिनांक–11.11.2011 के अनुसार आवेदिका श्रीमती प्रतिमा देवी, पति–श्री अरविन्द कुमार, साकिन–महुँगाय, पोस्ट–चन्दवारा, थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा के निवासी है। साथ ही

CamScanner

क्रेता राजु रविदास, का अंचल अधिकारी, चन्दवारा द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या–JHCSC/2025/10054 दिनांक–17.02.2025 के अनुसार क्रेता जाति के चमार है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या–JHRCO/2025/53567 दिनांक–10.02.2025 के अनुसार क्रेता राजु रविदास, पिता–जगदिश रविदास, ग्राम–चन्दवारा, पोस्ट–चन्दवारा, थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा के निवासी है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसुचित जाति अन्तर्गत आते एवं एक ही जिला के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता प्रस्तावित भूमि के खरीद–बिक्री हेतु सहमत है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, चन्दवारा के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के अधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (i)(b) 2nd Provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा–चन्दवारा, थाना नं0–276, खाता नं0–95, प्लॉट नं0–6596, रकवा–06 डी0, भूमि राजु रविदास, पिता–जगदिश रविदास, ग्राम–चन्दवारा, पोस्ट– चन्दवारा, थाना–चन्दवारा, जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से आच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/2/25

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

19/2/25

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.11.15 16:25:13 +05:30
Location: 192.168.29.40

CamScanner